



2026:AHC:43710

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2931/2026

सुभाष चंद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजय सुब्रत सिंह, शिव किंकर सिंह, सूर्यप्रकाश शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसकी नियुक्ति 07.01.1999 को कांस्टेबल (आरक्षी) के पद पर हुई थी, जिसके पश्चात वर्ष 2019 में उसे हेड कांस्टेबल (मुख्य आरक्षी) के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके वेतन का निर्धारण प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार नहीं किया गया है और इसके अतिरिक्त उसे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (increment) प्रदान नहीं की गई है, जो कि रिट-ए संख्या 44330/2012 में दिए गए निर्णय के आलोक में समान स्थिति वाले अन्य कर्मियों को दी गई है, जिसके विरुद्ध एसएलपी (SLP) भी खारिज हो चुकी है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया तृतीय प्रतिवादी, पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, प्रयागराज द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता 13.03.2026 तक तृतीय प्रतिवादी, पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, प्रयागराज के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, तृतीय प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 25, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।